



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त को **01 वर्ष का कारावास**  
**व ₹ 5,000 के अर्थदंड** की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर , सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत अ0सं0-517/2009 धारा- 8/22 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई ।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी द्वितीय, जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त नारायण सिंह पुत्र जागेश्वर लोधी** निवासी बसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को **01 वर्ष का कारावास व ₹5,000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रवीण  
भदौरिया



विवेचक उ0नि0 श्री  
ए.के.राय



पैरोकार थाना मुस्करा  
का0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह